परिशिष्ट–दो

प्रपत्र–2(क)

ई–मेल : deo.dehradun.dir@gmail.com

दूरभाष : 0135–2787028

फैक्स : 0135–2787028

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड

पत्रांक/शिविर(मा.)/ 16441-50 /मान्यता/2019–20 दिनांक 19 नवम्बर, 2019

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबन्धक,
ओलम्पस हाई स्कूल,
निरंजनपुर, माजरा, देहरादून।

विषय :– निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19(2) के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2013 के नियम 17(क) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र निर्गत करने विषयक।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक, आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वघोषणा पत्र के क्रम में आपके विद्यालय **ओलम्पस हाई स्कूल, निरंजनपुर, माजरा, देहरादून** को अधिनियम की धारा–19(2) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र दिनांक 01.11.2019 से 31.10.2024 तक निर्गत किया जाता है। जनपद देहरादून में आपके विद्यालय के पंजीकरण की **संख्या 1123** है। भविष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का उल्लंघन दृष्टिगोचर होता है तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम–18 के अनुसार विद्यालय की मान्यता/अनापत्ति प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी। इस अवधि में प्रशिक्षित अध्यापकों से ही अध्यापन कार्य करवायें।

भवदीया,

(आशा रानी पैन्यूली)
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
देहरादून।

पृ.सं./शिविर(मा.)/ /मान्यता/2019–20 दिनाँक उक्तवत्।

प्रतिलिपि : निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा.), देहरादून।
4. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद देहरादून।

(आशा रानी पैन्यूली)
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
देहरादून।

E:\Desktop\Manyata Renewal 2019.Docx

Scanned with CamScanner